संख्या-414/2026/आई/1337484/23-1-26/003-23-1002(002)/262/2026

प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 21 मई, 2026**

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से अलीगढ़ मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 15 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-21283/CE-HQ1/RSN3054/ALI/2026-27, दिनांक 11.05.2026 एवं पत्र संख्या-21390/CE-HQ1/RSN3054/ALI/2026-27, दिनांक 12.05.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **अलीगढ़ मण्डल के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों के स्वीकृत कुल 15 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 5,59,43,000/- (रूपये पांच करोड़ उनसठ लाख तैंतालीस हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान सं0-58 के **लेखाशीर्षके-3054** के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि.ख.-1 एटा	जलेसर सिकन्द्राराऊ मार्ग से पिलखतरा मार्ग।	71 /2025 /आई/868723/23-1-25/002-23-1002(002)/11/2025 दिनांक 31.01.2025-दिनांक-31-01-2025	58.94 58.94 38.30 10.66 48.28	41.26	7.02	3.95
2	नि.ख.-1 एटा	एटा कासगंज मार्ग (अ0जि0मा0) चार लेन के किमी0 0.00 से 20.00 में बी0सी0 द्वारा सामान्य	112/2025/आई/891760/23-1-25/001-23-1002(002)/45/2025-दिनांक-25-02-2025	1916.73 1777.89 932.96 507.78 1270.11	1046.51	223.60	69.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।					
3	नि.ख.-1 एटा	मथुरा सादाबाद जलेसर अवागढ़ मार्ग (एस0एच0-122) के किमी0 72 (रामगढी) एवं 80 (नगला फतेह) के आबादी भागों में सी0सी0 निर्माण का कार्य।	557 /2025/आई/1139316/ 23-1-25/001-23-1002(002)/289/2025-दिनांक-11-11-2025	99.55 97.83 8.15 2.77 95.06	34.84	60.22	32.12
4	नि.ख.-1 एटा	वित्तीय वर्ष 2025-26 में सुन्ना पुल कमसान एल०जी०सी० पटरी मार्ग (अ०जि०मा०) पर विशेष मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।	557 /2025/आई/1139316/ 23-1-25/001-23-1002(002)/289/2025-दिनांक-11-11-2025	124.74 121.54 66.43 31.86 89.68	43.66	46.02	34.73
5	नि.ख.-1 एटा	मथुरा सादाबाद जलेसर अवागढ़ (राज्य मार्ग संख्या 122) के किमी 67 एवं 68(350) में स्थित जलेसर आबादी भाग में सी0सी0 एवं बी0सी0 निर्माण कार्य।	574 /2025/आई/1142945/ 23-1-25/001-23-1002(002)/302/2025-दिनांक-13-11-2025	246.48 238.22 32.17 9.73 228.49	86.26	142.23	74.05
6	नि.ख. कासगंज	गंजडुण्डवारा कादरगंज मार्ग से सुल्तानपुर मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	557 /2025/आई/1139316/ 23-1-25/001-23-1002(002)/289/2025-दिनांक-11-11-2025	56.95 56.95 29.09 6.00 50.95	19.93	31.02	28.00
7	नि.ख. कासगंज	सनौड़ी सिंहमनपुरपुख्ता मार्ग से राजेपुर कुर्रा सम्पर्क मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	557 /2025/आई/1139316/ 23-1-25/001-23-1002(002)/289/2025-दिनांक-11-11-2025	65.17 65.17 33.39 6.50 58.67	0.04	58.63	55.00

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
8	नि.ख. कासगंज	पटियाली नरदौली मार्ग से प्रीतमपुर हिडौला मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	557 /2025/आई/1139316/ 23-1-25/001-23-1002(002)/289/2025-दिनांक-11-11-2025	57.13 57.13 29.55 6.25 50.88	0.05	50.83	48.00
9	नि.ख. कासगंज	सहावर मार्ग से भीकमपुर सम्पर्क मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य।	602 /2025/आई/1152419/ 23-1-25/002-23-1002(002)/302/2025-दिनांक-24-11-2025	70.08 70.08 54.60 1.00 69.08	24.52	44.56	41.00
10	प्रा.ख. कासगंज	कासगंज बाईपास (दो लेन विद पेव्ड शोल्डर) मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के चैनेज 13.000 से 17.200 मे हाई एम्बैकमेन्ट पर ड्रेन सूट एवं कर्व स्टोन के साथ सुरक्षात्मक कार्य	557 /2025/आई/1139316/ 23-1-25/001-23-1002(002)/289/2025-दिनांक-11-11-2025	71.89 71.70 57.49 0.00 71.70	25.16	46.54	43.00
11	प्रा.ख. कासगंज	कासगंज इस्माईलपुर चिलकुनी कुईया से अल्लीपुर बरवारा मार्ग	557 /2025/आई/1139316/ 23-1-25/001-23-1002(002)/289/2025-दिनांक-11-11-2025	144.86 144.86 119.78 0.02 144.84	50.70	94.14	86.50
12	प्रा.ख. कासगंज	बरेली मथुरा मार्ग से मोहनी मामूरगंज से नगला भीम होते हुए नगला नन्दे मार्ग (आबादी भाग में सी0सी0) का कार्य	602 /2025/आई/1152419/ 23-1-25/002-23-1002(002)/302/2025-दिनांक-24-11-2025	43.00 43.00 36.15 0.00 43.00	15.05	27.95	25.80
13	प्रा.ख. अलीगढ़	विशेष मरम्मत के अन्तर्गत कासगंज अतरौली से गाजीपुर वाया राजगॉव मार्ग की मरम्मत का कार्य।	538/2024/240-आरएसएन/23-1-24/001/23-1002(002)/154/2024-दिनांक-18-10-2024	57.55 57.55 34.22 16.49 41.06	28.74	12.32	12.32
14	प्रा.ख. अलीगढ़	विशेष मरम्मत के अन्तर्गत जट्टारी पिसावा मार्ग से जहांगीरपुर (ओ0डी0आर0) मार्ग	557 /2025/आई/1139316/ 23-1-25/001-23-1002(002)/289/2025-दिनांक-11-11-2025	52.17 52.17 29.79 5.42 46.75	44.41	2.34	2.34

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्र0 सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		पर मरम्मत का कार्य।					
15	प्रा.ख. अलीगढ़	विशेष मरम्मत के अन्तर्गत जट्टारी पिसावा मार्ग से प्रेमपुर मार्ग की मरम्मत का कार्य।	557 /2025/आई/1139316/ 23-1-25/001-23-1002(002)/289/2025-दिनांक-11-11-2025	73.96 73.96 40.14 1.59 72.37	68.75	3.62	3.62
						कुल योग-	**559.43**

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2027 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2027 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/ प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 5,59,43,000/- (रूपये पांच करोड़ उनसठ लाख तैंतालीस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक "3054**043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण**"** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

संख्या-414/2026/आई/1337484(1)/23-1-26/003-23-1002(002)/262/2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी),प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4- मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5- मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10- लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11- नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in